(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 34 / 2024–25
दिनांकः 01 अक्तूबर, 2024

विषयः मांस और मांस उत्पादों के लिए हलाल प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के संबंध में।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992, की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा **दिनांक 16.10.2024 से** कतिपय मांस और मांस उत्पादों हेतु निर्यात नीतिगत शर्तों में निम्नानुसार संशोधन करती है:

1. आइटीसी (एचएस कोड) 2022, अनुसूची–II (निर्यात नीति) के अध्याय 2 के अंतर्गत नई नीतिगत शर्त 8 और अध्याय 16 के अंतर्गत नीतिगत शर्त 2 निम्नानुसार शामिल किए गए हैं:

i. विनिर्दिष्ट मांस और मांस उत्पादों को नीचे सूचीबद्ध देशों में हलाल प्रमाणित के रूप में निर्यात करने की अनुमति केवल तब ही दी जाएगी, जब ऐसे उत्पाद भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआइ) के **"भारत अनुपालन मूल्यांकन स्कीम (आइ–सीएएस)–हलाल"** के तहत प्रमाणित सुविधा में उत्पादित अथवा प्रसंस्कृत और/अथवा पैक किए जाते हों।

ii. पोतलदान (पोतलदानों) के बाद, निर्यातक नीचे सूचीबद्ध आयातक देश में खरीदार को राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) द्वारा प्रत्यायित प्रमाणन निकाय द्वारा आइ–सीएएस के तहत जारी वैध हलाल प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) प्रस्तुत करेगा।

iii. आइ–सीएएस के साथ अपेक्षित अनुपालन के अतिरिक्त उन देशों में विनिर्दिष्ट मांस और मांस उत्पादों का निर्यात, जहां हलाल उत्पादों के आयात के लिए विनियमन अधिसूचित हैं, उत्पादक/आपूर्तिकर्ता/निर्यातक को आयातक देश की अपेक्षाओं और विनियमनों को भी यथा प्रयोज्य पूरा करना होगा और आयातक देश में खरीदार को आयातक देश की राष्ट्रीय हलाल प्रणाली के तहत अनुमोदित हलाल प्रमाणन निकायों द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र देने होंगे।

iv. गैर–हलाल प्रमाणित मांस और मांस उत्पादों के निर्यात के लिए नीतिगत शर्तें और उनकी प्रक्रियाएं अपरिवर्तित रहेंगी।

v. उन देशों की सूची, जहां विनिर्दिष्ट हलाल मांस और मांस उत्पादों के निर्यात के लिए उपर्युक्त शर्तें अनिवार्य हैं, निम्नवत हैः–

i. बहरीन
ii. बांग्लादेश
iii. इंडोनेशिया
iv. ईरान
v. इराक
vi. जॉर्डन
vii. कुवैत
viii. मलेशिया
ix. ओमान
x. फिलीपींस
xi. कतर
xii. सऊदी अरब
xiii. सिंगापुर
xiv. तुर्की
xv. संयुक्त अरब अमीरात

2. उपर्युक्त प्रावधानों के संदर्भ में, अतिरिक्त निर्यात नीतिगत शर्तें केवल निम्नलिखित आइटीसी (एसएस) कोडों के संबंध में शमिल की गईं हैं–

एच एस कोड	मद विवरण	अतिरिक्त निर्यात नीतिगत शर्त
0201– गोजातीय पशुओं का मांस, ताजा अथवा शीतित		
02013000	–हड्डी रहित	निर्यात इस अध्याय की नीतिगत शर्त 8 के भी अधीन होगा
0202– गोजातीय पशुओं का मांस, जमा हुआ		
02023000	–हड्डी रहित	निर्यात इस अध्याय की नीतिगत शर्त 8 के भी अधीन होगा
0204– भेड़ों और बकरियों का मांस, ताजा, शीतित या जमा हुआ		
02041000	–मेमने के शव और अर्ध–शव, ताजा अथवा शीतित	निर्यात इस अध्याय की नीतिगत शर्त 8 के भी अधीन होगा
02042100	–शव और अर्ध–शव	
02042200	–हड्डी सहित अन्य टुकड़े	
02042300	–हड्डी रहित	
02043000	–मेमने के शव और अर्ध–शव, जमे हुए	
02044100	–भेड़ का अन्य मांस, जमा हुआः	

	शव और अर्ध–शव	
02044200	–भेड़ का अन्य मांस, जमा हुआः हड्डी सहित अन्य टुकड़े	
02044300	–भेड़ का अन्य मांस, जमा हुआः हड्डी रहित	
02045000	बकरियों का मांस	
0206. गोजातीय पशुओं, भेड़ों, बकरियों का ताजा, शीतित अथवा जमा हुआ खाद्य मांस		
02061000	–गोजातीय पशुओं का, ताजा अथवा शीतित	निर्यात इस अध्याय की नीतिगत शर्त 8 के भी अधीन होगा
02062100	–गोजातीय पशुओं की, जमी हुईः– जीभें	
02062200	–गोजातीय पशुओं के, जमे हुएः– यकृत	
02062900	–गोजातीय पशुओं की, जमी हुईः– अन्य	
02068010	–अन्य, ताजा अथवा शीतितः– भेड़ों अथवा बकरियों का	
02068090	—अन्य, ताजा अथवा शीतितः– अन्य	
02069010	–अन्य, जमा हुआ — भेड़ों अथवा बकरियों का	
02069090	–अन्य, जमा हुआ — अन्य	
1602 – अन्य निर्मित या परिरक्षित मांस, गोजातीय पशुओं का मांस		
16021000	–समांगीकृत निर्मितियां	निर्यात इस अध्याय की नीतिगत शर्त 2 के भी अधीन होगा
16025000	–गोजातीय प्राणियों का	
16029000	–अन्य, किसी भी प्राणी के रक्त की निर्मितियों सहित	

इस अधिसूचना का प्रभावः विनिर्दिष्ट हलाल मांस और मांस उत्पादों के निर्यात के लिए नीतिगत शर्तें अधिसूचित की गई हैं। उल्लिखित निर्यात नीतिगत शर्तें 16 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी।

संतोष कुमार सारंगी
1.10.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

[फा. सं. 01/91/171/166/एम21/ईसी से जारी]